

तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

दिनांक 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का खैरपुर बनाम
पटवारी जाति गुजर निवासी समसपुर तहसील

अंतर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 20/2/18

हमारे संमक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि मधवा ने समसपुर को भूमि ख.न. 435 रकबा 0.80 फसल रवि / खरीक संवत 2074 में खरसों कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दंड किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लगी गयी जो सुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमित योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा उचित है

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 435 रकबा 1.90 किस्म खरसों वाके गाम समसपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 12.80 रु 50 गुणा 640 रु शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल खरसों को नितान्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदाखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल गुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/व के पेज नं० 56 पर
वर्ष 2017-18 की राशि 640 रु
की जमा का 640 रु
दिनांक 5/3/18 तहसीलदार महवा
लेखाकार महवा